शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित दो वर्ष की विभागीय उपलब्धियॉं

1. स्थानीय कार्यालय के अधीन कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को, कक्षा 8 में मुख्यालय पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को तथा कक्षा 10 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 12 की छात्राओं को 3000/- रूपयें (केवल सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु) प्रति दो वर्ष तक दिये जाते है।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद द्वारा सहरिया छात्र/छात्राओं को मुफ्त पोशाक, स्टेशनरी हेतु कक्षा 6 से 12 तक 800 रू. प्रति छात्र छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत विंगत दो सत्रों में निम्न छात्र लाभान्वित हुए है।
3. सहरिया छात्र/छात्राओं को मुफ्त पोशाक एवं स्टेशनरी हेतु कक्षा 6 से 12 1500 रू. प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।इस योजना के अंतर्गत कुल 1183 छात्रों को 1500 रू. प्रति छात्र के हिसाब से 1774500 रू. की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
4. सहरिया छात्र/छात्रा जो कक्षा 10 एवं 12 में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए हो को 6000 रू. प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुल तीन छात्रों को 6000 रू. प्रति छात्र के हिसाब से 18000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी गई।
5. वे सहरिया छात्राऐं जो छात्रावास में नही रहती है तथा घर से विद्यालय आकर अध्ययन करती है, को 3500 रू. प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
6. वे सहरिया छात्र/छात्राऐं जिनकी उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रहती है। को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती हे।
7. विज्ञान विषय को बढावा देने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी विभाग जयपुर द्वारा विद्यालय स्तर पर छात्रों को इन्सपायर अवार्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को 5000 रू. पुरस्कार राशि का चैक प्रदान किया जाता है।
8. अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष की छात्राओं में खून की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य गुणवत्ता में वृद्वि करने हेतु सप्ताह में एक दिन प्रत्येक बुधवार को आई.एफ.ए. की गोली का सेवन कराया जाता है।
9. स्वास्थ्य मित्र योजना के अंतर्गत 196 विद्यालयों के प्रत्येक दो छात्रों को 50 रू. प्रतिमाह के हिसाब से राशि दी जाती है।
10. दुर्घटना बीमा :-विद्यालया में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो कक्षा 6 से 10 वी. तक के विद्यार्थी को 20,000 रू. तथा कक्षा 11 से 12 तक के विद्यार्थी को 50,000 रू. क्षतिपूर्ति के रूप में देय है।
11. कक्षा 9 वी. में उत्तीर्ण एवं 9 वी. में अध्ययनरत गांव के बाहर से आने जाने वाली छात्राओं को 100 रू. जमा कराकर राज्य सरकार द्वारा साईकिले दी जा रही है।